



2026:AHC-LKO:19198

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आवेदन अंतर्गत धारा 482 संख्या - 814 वर्ष 2026

राकेश कुमार पांडे

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, द्वारा प्रमुख सचिव, गृह,

लखनऊ एवं 2 अन्य

.....विरोधी पक्ष (गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : सिद्धार्थ सिन्हा, मोहम्मद जीशान लारी

विरोधी पक्ष (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-12

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

माननीय न्यायमूर्ति पंकज भाटिया

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
2. यह याचिका दिनांक 27.06.2025 को पारित आदेश, विद्वान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पी०सी० अधिनियम, न्यायालय संख्या 8, लखनऊ द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 46070 वर्ष 2016 में, धारा 147, 148, 332, 307, 427, 353 भा०दं०सं० सहपठित धारा 149, 504 एवं 506 भा०दं०सं० के अंतर्गत, थाना-हजरतगंज, जनपद-लखनऊ में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 430 वर्ष 2016 से उत्पन्न, को निरस्त किए जाने हेतु दाखिल की गई है।
3. संक्षेप में तथ्य यह हैं कि आवेदक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई , जिसमें आरोप लगाया गया कि आवेदक का स्थानांतरण प्रशासनिक कर्तव्यों के निर्वहन में किया गया था तथा आवेदक, स्थानांतरण आदेश के निरस्तीकरण का इच्छुक होते हुए, ने चपरासी के माध्यम से आयुक्त से भेंट हेतु एक पर्ची प्रेषित की। उक्त पर्ची कक्ष में भेजी गई और लगभग 3:15 बजे अपराह्न आवेदक को उसके पुत्र के साथ भेंट हेतु बुलाया गया। यह आरोप है कि आवेदक तथा उसके पुत्र ने स्थानांतरण के निरस्तीकरण के लिए आयुक्त पर दबाव डालना प्रारंभ किया और वार्ता के दौरान क्रोधावेश में उन्होंने आयुक्त के साथ दुर्व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया तथा शासकीय अभिलेखों को इधर-उधर फेंक दिया और शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करना प्रारंभ कर दिया। इस बीच, आवेदक तथा उसके पुत्र ने चार अन्य व्यक्तियों को बुला लिया, जो आयुक्त के कक्ष के अंदर आ गए और हत्या करने के आशय से उन्होंने आयुक्त

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

का गला दबाया। यह भी आरोपित किया गया कि आवेदक के पुत्र ने मेज पर रखा कांच तोड़ दिया और हत्या करने के आशय से आयुक्त पर आक्रमण किया। किसी प्रकार बाहर उपस्थित व्यक्तियों ने कक्ष के अंदर आकर हस्तक्षेप किया और आगे के आक्रमण को रोका। यह भी आरोपित किया गया कि आवेदक, उसका पुत्र तथा अन्य चार व्यक्ति आयुक्त को गाली-गलौज करते हुए तथा जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गए। उक्त आरोप के आधार पर आवेदक के विरुद्ध अन्वेषण किया गया और आरोप-पत्र दाखिल किया गया।

4. आवेदक ने इस न्यायालय से संपर्क आवेदन (अंतर्गत धारा 482 दं० प्र० सं०) संख्या 902 वर्ष 2017; 'राकेश कुमार पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य' प्रस्तुत करके किया, जिसमें आवेदक के विरुद्ध दाखिल आरोप-पत्र तथा संज्ञान आदेश को निरस्त किए जाने को चुनौती दी गई। उक्त आवेदन दिनांक 10.02.2017 के आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया। यह कहा गया कि तत्पश्चात आवेदक ने उन्मोचन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 25.07.2019 के आदेश के माध्यम से निरस्त कर दिया गया। उन्मोचन आवेदन को अस्वीकार करने वाले उक्त आदेश को आवेदक द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 1116 वर्ष 2019 में चुनौती दी गई। उक्त आपराधिक पुनरीक्षण की सुनवाई की गई और दिनांक 15.02.2022 के निर्णय एवं आदेश के माध्यम से पुनरीक्षण निरस्त कर दिया गया। यह आगे कहा गया कि उक्त दिनांक 15.02.2022 के निर्णय के विरुद्ध आवेदक ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 8084 वर्ष 2022 प्रस्तुत की, जो दिनांक 07.01.2025 को निरस्त कर दी गई।

5. यह कहा गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका के निरस्त किए जाने के उपरांत, दिनांक 27.06.2025 का आदेश विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित किया

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

गया, जिसके द्वारा आवेदक के विरुद्ध आरोप निर्धारित किए गए। उक्त आदेश चुनौती के अधीन है।

6. तत्पश्चात आवेदक द्वारा दिनांक 25.02.2026 को एक संशोधन आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें इस आशय की अतिरिक्त प्रार्थना की गई कि उन्हीं आरोपों पर आवेदक के विरुद्ध दिनांक 18.02.2020 को एक विभागीय जांच भी की गई थी और उक्त जांच में आरोपों को अप्रमाणित पाया गया। अतः यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 13.07.2016 का आदेश विधि के विपरीत होने के कारण कार्यवाही निरस्त किए जाने योग्य है, क्योंकि उन्हीं आरोपों पर विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई थी और जांच आख्या में आरोपों को सिद्ध नहीं किया जा सका।

7. यह आगे तर्क प्रस्तुत किया गया कि विभागीय कार्यवाही संभावनाओं के प्राबल्य के सिद्धांत पर प्रारंभ एवं संचालित की जाती है, जबकि आपराधिक कार्यवाही में आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध किया जाना आवश्यक होता है, और एक बार जब संभावनाओं के प्राबल्य के सिद्धांत पर जांच आख्या में आवेदक को दोषी नहीं पाया गया, तो आपराधिक कार्यवाही निरस्त किए जाने योग्य है।

8. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने उच्चतम न्यायालय के वाद **आशू सुरेंद्रनाथ तिवारी बनाम पुलिस उपाधीक्षक, ईओडब्ल्यू, सीबीआई एवं अन्य, दर्ज (2020) 9 एससीसी 636** में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया है। उक्त वाद में एक बैंक के खातों से दूसरे बैंक में धन के विचलन के आरोप लगाए गए थे। उक्त आरोपों के फलस्वरूप एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।

सी०वी०सी० (केंद्रीय सतर्कता आयोग) ने भी वाद के गुण-दोषों पर विचार किया और उच्चतम

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता को बिना किसी आपराधिक दायित्व के केवल लापरवाह पाया। उक्त के आधार पर, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह धारित किया कि एक बार जब सी०वी०सी० की आख्या अभिलेख पर उपलब्ध थी, तो अपीलकर्ता को दोषमुक्त किया जाना चाहिए था, क्योंकि समान तथ्यों से संबंधित आपराधिक विचारण में दोषसिद्धि की संभावनाएं क्षीण प्रतीत होती हैं। इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय के वाद **राधेश्याम केजरीवाल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य; (2011) 3 एससीसी 581** में दिए गए निर्णय पर भी भरोसा किया गया है, जिसके प्रस्तर -38 एवं 39 में उच्चतम न्यायालय ने यह धारित किया:-

“38. इन निर्णयों से जो अनुपात निकाला जा सकता है, उसे व्यापक रूप से निम्न प्रकार से कहा जा सकता है :

(i) निर्णयन कार्यवाही तथा आपराधिक अभियोजन एक साथ प्रारंभ किए जा सकते हैं;

(ii) आपराधिक अभियोजन प्रारंभ करने से पूर्व निर्णयन कार्यवाही में निर्णय आवश्यक नहीं है;

(iii) निर्णयन कार्यवाही तथा आपराधिक कार्यवाही परस्पर स्वतंत्र प्रकृति की होती हैं;

(iv) निर्णयन कार्यवाही में अभियोजन का सामना कर रहे व्यक्ति के विरुद्ध दिया गया निष्कर्ष आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही पर बाध्यकारी नहीं होता;

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(v) प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई निर्णयन कार्यवाही, विधि के सक्षम न्यायालय द्वारा किया गया अभियोजन नहीं है, जिससे संविधान के अनुच्छेद 20 (2) या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 300 के उपबंध आकर्षित हों;

(vi) समान उल्लंघन के लिए विचारण का सामना कर रहे व्यक्ति के पक्ष में निर्णयन कार्यवाही में दिया गया निष्कर्ष उस निष्कर्ष की प्रकृति पर निर्भर करेगा; यदि निर्णयन कार्यवाही में दोषमुक्ति तकनीकी आधार पर है और गुण-दोष के आधार पर नहीं है, तो अभियोजन जारी रह सकता है; तथा

(vii) तथापि, ऐसे मामलों में जहाँ गुण-दोष के आधार पर दोषमुक्ति हो और आरोप सर्वथा अस्थिर पाए जाएं तथा व्यक्ति को निर्दोष ठहराया जाए, तो समान तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर आपराधिक अभियोजन को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जिसका अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि आपराधिक मामलों में प्रमाण का मानक उच्चतर होता है।

39. हमारे मत में, अतः, मानदंड यह होगा कि यह परखा जाए कि क्या निर्णयन कार्यवाही में आरोप तथा अभियोजन की कार्यवाही में आरोप समान हैं और क्या संबंधित व्यक्ति की निर्णयन कार्यवाही में दोषमुक्ति गुण-दोष के आधार पर हुई है। यदि निर्णयन कार्यवाही में गुण-दोष के आधार पर यह पाया जाता है कि अधिनियम के उपबंधों का कोई उल्लंघन नहीं है, तो संबंधित व्यक्ति का विचारण न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।”

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

9. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने मेरा ध्यान जांच आख्या की ओर आकृष्ट किया, जिसमें जांच अधिकारी ने तीन व्यक्तियों के साक्ष्य पर विचार किया और यह अभिधारित किया कि साक्षी संख्या 1 एवं 2 के साक्ष्य के आधार पर दिनांक 13.07.2016 को घटित कथित किसी भी आपराधिक घटना को सिद्ध नहीं किया जा सका। जांच आख्या में आरोप संख्या 1, 2 एवं 3 को अप्रमाणित पाया गया, क्योंकि आवेदक ने उन्हें अस्वीकार किया था और साक्ष्य आरोपों का समर्थन नहीं करते थे। जांच आख्या के अनुसार आगे की कार्यवाही होती हुई प्रतीत नहीं होती है। उपर्युक्त के आलोक में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि एक बार जब साक्ष्य पर आधारित जांच आख्या स्पष्ट रूप से यह इंगित करती है कि दिनांक 13.07.2016 की कथित घटना स्थापित नहीं की जा सकी, तो समान आरोपों के आधार पर आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **अशू सुरेन्द्रनाथ तिवारी (उपरोक्त)** के वाद में प्रतिपादित विधि के विपरीत है।

10. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री रण विजय सिंह ने यह तर्क प्रस्तुत करते हुए तर्कों का खंडन किया कि आवेदन एक से अधिक आधारों पर निरस्त किए जाने योग्य है।

11. प्रथमदृष्टया यह प्रस्तुत किया गया कि आवेदक ने आवेदन (अंतर्गत धारा 482) संख्या 902 वर्ष 2017 प्रस्तुत करके इस न्यायालय से संपर्क करने के संबंध में तथ्यों का प्रकटीकरण नहीं किया है। अतः यह तर्क किया गया कि आवेदक महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने का दोषी है और वर्तमान आवेदन केवल इसी आधार पर निरस्त किए जाने योग्य है। यह आगे तर्क प्रस्तुत किया गया कि आरोप निर्धारण के संबंध में, इस न्यायालय ने आपराधिक पुनरीक्षण संख्या

1116 वर्ष 2019 का निर्णय करते समय आवेदक के विरुद्ध आरोप निर्धारण से संबंधित सभी

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आधारों पर विशेष रूप से विचार किया था और उन्हें अस्वीकार कर दिया था, जिस निर्णय को, जैसा कि उपर्युक्त उल्लिखित है, उच्चतम न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी।

12. यह आगे तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक का यह तर्क कि उन्हीं आरोपों पर, दिनांक 13.07.2016 को कथित रूप से किए गए कृत्य की आपराधिकता के संबंध में जांच आख्या निर्णायक कारक नहीं हो सकती, क्योंकि आवेदक के विरुद्ध आरोपों को सिद्ध करने के लिए यथासंभव 15 साक्षियों, जिनमें चार प्रत्यक्षदर्शी साक्षी सम्मिलित हैं, पर निर्भर किया गया, जिनका परीक्षण जांच अधिकारी द्वारा नहीं किया गया था। यह आगे तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदन इस आधार पर निरस्त किए जाने योग्य है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने वाद **राज्य बनाम अजय कुमार त्यागु; (2012) 9 एससीसी 685** में स्पष्ट रूप से यह धारित किया है कि विभागीय कार्यवाही में दोषमुक्ति अपने आप में आपराधिक कार्यवाही को निरस्त किए जाने का आधार नहीं होगी।

13. यह आगे तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस पहलू पर उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनः विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 13057 वर्ष 2025; **द कर्नाटक लोकायुक्ता बागलकोट डिस्ट्रिक्ट, बागलकोट बनाम चंद्रशेखर एवं अन्य**, 06.01.2026 को निर्णय द्वारा निर्णीत किया गया, में विशिष्ट रूप से विचार किया गया था, जिसमें यह स्पष्ट अभ्यावेदन किया गया था कि एक बार विभागीय कार्यवाही समाप्त हो जाने पर, क्या उन्हीं आरोपों के आधार पर आपराधिक कार्यवाही जारी रह सकती है या नहीं। उक्त वाद के तथ्यों के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने यह धारित किया कि विभागीय कार्यवाही में उन्मोचन का आधार बने साक्ष्य दोषपूर्ण तथा अपर्याप्त थे, और वहां के अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोपों को आपराधिक विचारण में स्वतंत्र एवं पृथक साक्ष्यों के आधार पर सिद्ध किया जाना आवश्यक था। भारत के उच्चतम न्यायालय ने अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अपने पूर्व निर्णय, जो **अशू सुरेन्द्रनाथ तिवारी (उपरोक्त)** के वाद में पारित किया गया था, का भी संदर्भ लिया, जिसके प्रासंगिक प्रस्तर, प्रस्तर-17, 18 एवं 19 में निहित हैं, जो नीचे उद्धृत किए जाते हैं:-

17. हमने जांच में प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन किया, न कि विभागीय कार्यवाही में पारित आदेश को विनियमित करने के लिए, जो हमारे समक्ष चुनौती के अधीन नहीं है, बल्कि स्वयं को संतुष्ट करने तथा यह समझने के लिए कि क्या गुण-दोष के आधार पर पूर्ण दोषमुक्ति है, जिसे हम अनुपस्थित पाते हैं। वर्तमान वाद में, विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्षी थे, (i) परिवादी; वह ठेकेदार जिसने रिश्वत की मांग की शिकायत की थी और (ii) दो स्वतंत्र साक्षी, जो दो भिन्न विभागों के शासकीय अधिकारी थे, जिन्होंने आपराधिक अपील @ एसएलपी आपराधिक संख्या 13057 वर्ष 2025 की ट्रैप टीम के साथ गए थे। पीडब्ल्यू-1, परिवादी ने स्पष्ट रूप से यह कहा कि उससे पांच बिलों को प्रत्येक दो हजार रुपये की दर से पास कराने के लिए कुल दस हजार रुपये की रिश्वत मांगी गई थी। उसने एसीबी से शिकायत की, जिसके निरीक्षक ने नोटों को चिन्हित किया, उन पर पाउडर लगाया और बाद में उनकी पहचान हेतु उनके नंबर अंकित करने के पश्चात उन्हें एक लिफाफा में रख दिया। ट्रैप टीम परिवादी तथा दो साक्षियों के साथ दोषी कर्मचारी के कार्यालय गई। परिवादी कार्यालय कक्ष के अंदर गया, जहाँ उसने धनराशि युक्त लिफाफा दोषी कर्मचारी को सौंप दिया, जिसने उसे गिना और अपनी पैंट की जेब में रख लिया, जिसका स्पष्ट उल्लेख परिवादी द्वारा जांच में किया गया। परिवादी ने सहमति के

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अनुसार संकेत दिया, अर्थात् मोबाइल पर एक मिसड कॉल, जिसके पश्चात ट्रैप टीम अंदर गई, दोषी कर्मचारी की जेबों की जांच की, धनराशि युक्त लिफाफा बरामद किया और जब दोषी कर्मचारी के हाथों को पूर्व में तैयार किए गए विलयन में डुबोया गया, तो रंग परिवर्तित हो गया जिससे दूषण प्रकट हुआ।

18. पीडब्ल्यू-2 तथा पीडब्ल्यू-3 स्वतंत्र साक्षी थे, जो उस समय कार्यालय कक्ष के बाहर खड़े थे जब परिवादी अंदर गया। उन्होंने यह कथन किया कि संकेत दिए जाने पर आपराधिक अपील @ एसएलपी आपराधिक संख्या 13057 वर्ष 2025 के अधिकारी कक्ष के अंदर गए और साक्षी उनके पीछे-पीछे गए। उन्होंने दोषी कर्मचारी की जेब से धनराशि निकाले जाते हुए तथा दोषी कर्मचारी के हाथों को ऐसे विलयन में डुबोए जाते हुए देखा, जिससे दूषित रंग प्रकट हुआ। ट्रैप करने वाले निरीक्षक के परीक्षण के बिना भी, हम इस मत के हैं कि संभावनाओं के प्राबल्य के मानक पर दोषी कर्मचारी को रिश्वत की मांग एवं स्वीकृति के आरोप में दोषी ठहराने हेतु पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध थे। परिवादी तथा स्वतंत्र साक्षियों ने सफलतापूर्वक किये गये ट्रैप की घटना के संबंध में कथन किया है।

19. उपर्युक्त प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों तथा उपर्युक्त वाद से उभरने वाले विशिष्ट तथ्यों के आधार पर, हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि यह ऐसा उपयुक्त वाद है जिसमें विभागीय जांच में दोषी कर्मचारी की दोषमुक्ति के आधार पर आपराधिक कार्यवाही को निरस्त किया जा सके। हम पाते हैं कि

अजय कुमार त्यागी (उपरोक्त) में दिया गया निर्णय पूर्णतः लागू होता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अपील स्वीकार की जाती है तथा आपराधिक कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति प्रदान की जाती है। हम यह स्पष्ट करते हैं कि चूंकि अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा जांच आख्या को स्वीकार कर लिया गया है, अतः उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर उसे पुनः नहीं खोला जा सकता; तथापि, आपराधिक वाद आपराधिक अपील @ एसएलपी आपराधिक संख्या 13057 वर्ष 2025 में दोषसिद्धि होने पर सेवा को विनियमित करने वाले नियमों के अनुसार परिणाम उत्पन्न होंगे, जैसा कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी के आदेश, संलग्नक आर-1 में विशेष रूप से सुरक्षित रखा गया है।

14. अतः यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदन निरस्त किए जाने योग्य है।

15. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया, अभिलेख का अवलोकन किया तथा उपर्युक्त उद्धृत निर्णयों का परीक्षण किया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्क दुतरफा हैं।

16. प्रथम, यह कि आरोप सत्र न्यायालय द्वारा किए गए प्रकार से निर्धारित नहीं किए जा सकते थे। इस संबंध में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि विशेष रूप से धारा 307 भा०दं०सं० के अंतर्गत आरोप नहीं बनाया जा सकता था। उक्त तर्क निरस्तीकरण के योग्य है, क्योंकि उन्मोचन आवेदन में यही तर्क प्रस्तुत किए गए थे और उन्हें इस न्यायालय द्वारा अपने निर्णय एवं आदेश दिनांक 15.02.2022 के माध्यम से अस्वीकार कर दिया गया था, जिसके विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका भी निरस्त की जा चुकी है। आरोप-पत्र तथा साक्ष्यों, जिनमें चिकित्सीय आख्या भी सम्मिलित है, के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि धारा 307

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

भा०दं०सं० के अंतर्गत आवेदक के विचारण हेतु कोई सामग्री उपलब्ध नहीं थी, जैसा कि तर्क प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त तर्क निरस्त किए जाने योग्य है।

17. अगला तर्क, कि जांच कार्यवाही में आवेदक के विरुद्ध कुछ भी नहीं पाया गया और अतः उन्हीं आरोपों पर आपराधिक विचारण को समाप्त किया जाना चाहिए, इस आधार पर भी निरस्त किए जाने योग्य है कि यह विधि द्वारा सुव्यवस्थित रूप से स्थापित है कि जांच अधिकारी के निष्कर्ष प्रारंभिक प्रकृति के होते हैं और उन्हें स्वीकार करना या न करना अनुशासनात्मक प्राधिकारी पर निर्भर करता है। वर्तमान वाद में, आवेदक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही को जारी रखने के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि तब तक वह सेवानिवृत्त हो चुका था। जांच अधिकारी द्वारा जिन दो साक्षियों पर भरोसा किया गया, यद्यपि उन्होंने तथ्यों का समर्थन नहीं किया, तथापि वर्तमान आरोपों को आवेदक के विरुद्ध अभियोजन द्वारा प्रस्तावित साक्ष्यों के आधार पर, कुल 15 साक्षियों के माध्यम से, जिनमें वे साक्षी भी सम्मिलित हैं जो जांच अधिकारी के समक्ष बयान दे चुके साक्षियों से भिन्न हैं, स्थापित एवं सिद्ध किया जाना है। अतः यह तर्क कि जांच अधिकारी ने दिनांक 13.07.2016 को घटित कृत्य के संबंध में आवेदक को दोषी नहीं पाया, अपने आप में इस निष्कर्ष तक नहीं ले जाता कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **अजय कुमार त्यागी (उपरोक्त) तथा कर्नाटक लोकायुक्ता बागलकोट डिस्ट्रिक्ट, बागलकोट (उपरोक्त)** के वादों में प्रतिपादित विधि के आलोक में आपराधिक कार्यवाही निरस्त किए जाने योग्य है। अतः दूसरा तर्क भी स्वीकार नहीं किया जा सकता और निरस्त किए जाने योग्य है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

18. चूंकि घटना वर्ष 2016 की है, अतः विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह यह सुनिश्चित करे कि विचारण बिना किसी अनावश्यक स्थगन के, किसी भी पक्षकार को दिए बिना, शीघ्रतापूर्वक संपन्न किया जाए।

19. उपर्युक्त के साथ, आवेदन निरस्त किया जाता है।

(न्यायमूर्ति पंकज भाटिया)

17 मार्च, 2026

आरती/

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।